



MUMBAI PORT TRUST

PORT DEPARTMENT

REVISION OF MUMBAI PORT LIMITS

(Circular no. DC/C-PR(Port Limits)/5530 dated 20th November 2006)

2006

रजिस्ट्री सं० डी० एन०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522/
No. 522/

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26 2006/कार्तिक 4, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2006/KARTIKA 4, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
(पोत परिवहन विभाग)

(पतन स्तंभ)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

सं.का.वि. 672(अ) - महापतन-न्यास-अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं० 38) की धारा 2 की उपधारा (थ) के साथ पठित भारतीय पतन-अधिनियम, 1908 (1908 के अधिनियम सं० 15) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके और भारत सरकार के पहले के पोत-परिवहन और परिवहन-मंत्रालय के पतन-स्तंभ की दिनांक 28 मई, 1982 की अधिसूचना सा०का०नि० सं० 430 (अ०) को अधिकांत करके, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह घोषित करती है कि मुंबई-पतन की सीमाएँ निम्नानुसार होंगी :-

उत्तर में :-

ट्रॉम्बे गॉव के निकट और दक्षिण-पश्चिम-सीमा-स्तंभ से ट्रॉम्बे द्वीप के तट से पिर पाउ तक, वहाँ से ट्रॉम्बे द्वीप के तट से अनिक गॉव में सर्वेक्षण संख्या 42 में अवस्थित सीमा-स्तंभ तक और वहाँ से माहुल नाम की सैंकरी खाड़ी के पार चौंदनी नाम की सैंकरी खाड़ी के दक्षिणी तट पर अवस्थित सीमा-स्तंभ तक ।

पश्चिम में :-

चौंदनी नाम की सैंकरी खाड़ी के दक्षिणी तट पर अवस्थित सीमा-स्तंभ से, मुंबई द्वीप के पूर्वी तट से कोलावा पॉइंट के दक्षिणी वरम बिन्दु तक, वहाँ से पुस्त खाड़ी के तट से मातावार पॉइंट तक, वहाँ से अक्षांश 18° 56.3' उत्तर, देशान्तर 72° 45.9' पूर्व में एक बिन्दु तक खींची गई रेखा तक, वहाँ से अक्षांश 18° 57' उत्तर, देशान्तर 72° 44' पूर्व में एक बिन्दु तक, वहाँ से अक्षांश 18° 48.8' उत्तर, देशान्तर 72° 40.9' पूर्व